

No. A-12018/5/2022-Admn.I Prtg-UD
Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
Directorate of Printing
'B' Wing, 4th Floor, Minto Road Press Complex
New Delhi

Dated 9th June 2025

OFFICE MEMORANDUM

SUB : Inviting comments on the proposed revision/amendment in the Recruitment Rules (RRs) of Group 'B' (Industrial & Non-Industrial) (Non-Gazetted) posts of Govt. of India Presses-reg.

The undersigned is directed to refer to the subject cited above and to inform that the Directorate of Printing is in the process of revising/amending Recruitment Rules for the following Group 'B' (Industrial & Non-Industrial) (Non-Gazetted) posts of Government of India Presses under the administrative control of Directorate of Printing:-


Sr. No.	Name of Post	Sr. No.	Name of Post
1.	Inspector (Control)	6.	Offset Machine Man
2.	Accountant	7.	DTP Operator
3.	Head Clerk	8.	Head Reader
4.	Stenographer Gr.I	9.	Foreman (Bdy)
5.	Nurse	10.	Store Supervisor Gr.I

2. In accordance with DoPT's OM dated 13.10.2015, the Draft Recruitment Rules (copy enclosed- English and Hindi version) for the aforementioned posts are being uploaded on the Directorate of Printing's website for a period of 30 days to invite comments from stakeholders.

3. All Stakeholders are requested to review the draft RRs and submit their inputs, preferably in a tabular format (word file), clearly specifying :

- Column Number
- Original content
- Suggested modification

4. The inputs should be submitted no later than 30 days from the date of issue of this OM preferably via email to [sindhu.pillai@gov.in; ashwani.kumar35@gov.in].


(Ishwar Dutt Kashyap)
Deputy Director (A.I)

To

1. Managers of all Government of India Presses with a request to circulate the copies of the Draft RRs for obtaining comments of the stakeholders.

2. Shri Manoj Kumar, Deputy Manager (P&P Section), Room No. 402-B, Government of India Press Complex Minto Road, New Delhi - 110 002 with a request to upload the draft RRs on **recruitment cell webpage** and **What's New Tab** of the Directorate of Printing's (DoP's) website.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Inspector Control	One (01)* (2024) *(subject variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Not Applicable	100% by Deputation	<p><u>Deputation:</u></p> <p>Officers of the Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments-</p> <p>Holding analogous posts in Level-6 of Pay Matrix with 3 years regular service in the grade.</p> <p>(or)</p> <p>Section Holder (Binding) in Level-5 of the Pay matrix with six years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years extendable upto five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	Not Applicable	Not applicable
-------------------	-----------------------	---	----------------	----------------

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Accountant	Ten (10) (2024)* *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	100% by Promotion on the basis of Accountancy examination from among persons holding posts mentioned in Col. 11.	<u>Promotion:</u> (1) Upper Division clerk (UDC) and (2) Stenographer Grade-II (both Level 4 posts) who have rendered at least five years regular service in the grade after appointment there to on regular basis (in a clerical grade), under the Directorate of Printing Presses, who should be permanent or quasi-permanent Employees, subject to passing Accountancy Examination to be conducted in accordance with the scheme of Examination.	Not Applicable	Not applicable

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Head Clerk	Thirty Two (32) (2024) * *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B'(Non Gazetted), Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by Deputation	<p>Promotion: Upper Division Clerks of Government of India presses in Level 4, under Directorate of printing, with ten years regular service in the grade.</p> <p>Note :1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for, promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:</p> <p>1. Deputy Director (Admn./Head office) or General Manager or Manager of</p> <p>Government of India Press - Chairman</p>	Not applicable

		<p>their juniors, who have already completed their qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the pay commission or any subsequent decision of the Government</p> <p>Deputation: (i) Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments--</p> <ol style="list-style-type: none"> holding analogous post on regular basis OR holding posts in level 5 in pay matrix with six years regular service in that grade or Upper Division Clerk in level 4 with ten years regular service in the grade having experience in administration, accounts & budget <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation spent in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the central government shall ordinarily not exceed 3 years. (The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the pay Commission</p>	<ol style="list-style-type: none"> Deputy Manager-Member Assistant Manager (Administration) - Member <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deputy Director (Admn./Head office) or General Manager or Manager of <p>Government of India Press - Chairman</p> <ol style="list-style-type: none"> Deputy Manager - Member Assistant Manager (Administration) - Member <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid DPC.</p>	

-
SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer Grade I	One (01) (2024) * *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B'(Non Gazetted), Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	100% by Promotion	Promotion: Stenographer Grade II in the Level 4 with 10 years regular service in the grade. Note :1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for, promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of: 1 Deputy Director (Admn./Head office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman 2 Deputy Manager– Member 3 Assistant Manager (Administration) – Member	Not applicable

		<p>years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed their qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the pay commission or any subsequent decision of the Government</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:</p> <p>1 Deputy Director (Admn./Head office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman 2 Deputy Manager – Member 3 Assistant Manager (Administration) – Member</p> <p><u>Note:</u> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid DPC.</p>	
--	--	---	---	--

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nurse	04 (04) (2024) * *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B'(Non Gazetted), Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By Deputation (including short term contract)	Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government or State Governments or Public Sector undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; Or (ii) with five years regular service rendered after appointment thereto in the level-6 of the pay matrix; or	Not applicable	Not applicable

		<p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>ESSENTIAL:</p> <p>(a)(i) Bachelor of Science (Honours) in Nursing from a recognised University or Institute; or regular course in Bachelor of Science Nursing from a recognised University of Institute; or Post Basic Bachelor of Science nursing from a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) registered as a Nurse or Nurse and Mid-wife with State Nursing Council.</p> <p>(iii) six months experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above; or,</p> <p>(b)(i) Diploma in General Nursing Mid-wife from a recognised Board or Council.</p> <p>(ii) registered as a Nurse or Nurse and Mid-wife with State Nursing Council; and</p> <p>(iii) two years experience in a minimum fifty bedded hospital in a Government Organisation after acquiring the educational qualification mentioned above.</p> <p><u>Note 1:</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications</p> <p><u>Note 3:</u> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2016, the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.</p>	
--	--	--	--

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Machine Man (Offset)	Sixty four (64)* (2024) *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B', (Master Craftsman) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs.35400 - 112400)	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years	100% by Promotion failing which by deputation	Promotion: Machine Assistant (Offset) in Level 4 (Rs.29200 – 92300) in Pay Matrix with ten years regular service in the grade subject to qualifying trade test. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion	Group 'B' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:— 1. Deputy Director (Admn./ Head office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman 2. Deputy Manager – Member	Not applicable

		<p>to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation: Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments--</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Holding the analogous post on regular basis with two years experience working on Offset Machine; <li style="text-align: center;">or ii. Machine Assistant (Offset) in level 4 (Rs.29200 – 92300) of the pay matrix with ten years regular service in the grade. <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2016, the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.</p>	<p>3. Assistant Manager (Administration) –Member</p> <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p> <p>Group 'B' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Director (Admn./Head office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman 2. Deputy Manager – Member 3. Assistant Manager (Administration) –Member <p>Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	
--	--	--	---	--

SCHEDULE

Na me of post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether Selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Desk Top Publishing Operator	Seventy Six (76)* (2024) *(subject variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B' (Master craftsman) Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs.354 00 - 112400)	Not Applicable	Between 18 to 27 years. <u>Note 1:</u> Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. <u>Note 2:</u> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	<u>Essential:</u> 1)Three years regular Diploma in Printing Technology or equivalent from a recognized Institution/ University with one year experience in the relevant field. (or) Apprenticeship Certificate under Apprenticeship Act, 1961 (52 of 1961) in DTP Operator Trade with three years' experience in a Printing press having legal entity. 2) Should pass typing test with speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. in English and 30 w.p.m. in Hindi correspond to 10500 key depressions per hour/ 9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word) <u>Desirable:</u> Should be knowing one of the regional languages. <u>Note 1:</u> Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. <u>Note 2:</u> The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	<p>Hundred percent by direct recruitment failing which by deputation.</p> <p><u>Note:</u> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p>	<p><u>Deputation:</u> Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments— Holding analogous post on regular basis with three years experience in DTP work; or</p> <ol style="list-style-type: none"> holding a post in Level 5 in Pay Matrix with experience of six years regular service in the grade; and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under col.7. <p><u>Note 1:</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications)</p> <p><u>Note 3:</u> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2016, the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion/ Confirmation Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Deputy Director (Admn./Head office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman Deputy Manager- Member Assistant Manager (Administration) –Member <p><u>Note:</u> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

Name of post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Head Reader	Five (5) * (2024) *(subject variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B' (Supervisory), Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs.35400 – 112400)	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification s prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance s in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Not applicable	Two years for promotees	100% by promotion failing which by deputation.	<u>Promotion:</u> (i) Reader in Level 4 (29200-92300) in Pay Matrix with ten years regular service in the grade. <u>Note 1 :</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. <u>Note 2 :</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2016 or the date from which the	Group 'B' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:— 1. Deputy Director (Admn./Head office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman 2. Deputy Manager– Member 3. Assistant Manager (Administration) – Member	Not applicable
----------------	-------------------------	--	--	--	----------------

		<p>revised pay structure based on the 7th CPC recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments--</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department with three years experience in proof reading; or ii. Reader in Level 4 in the pay matrix (Rs.29200 – 92300) in Pay Matrix with ten years regular service in the grade. <p><u>Note 1:</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications)</p> <p><u>Note 3:</u> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2016, the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.</p>	<p><u>Note:</u> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	
--	--	---	---	--

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Foreman (Bindery)	Five (05) * (2024) *(subject variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B' (Supervisory) Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs.35400 – 112400)	Non-Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribe d for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Not applicable	Not applicable	100% by Promotion failing which by deputation.	<p><u>Promotion:</u> Section Holder (Bindery) in Level 5 (Rs.29200 – 92300) in Pay Matrix with six years regular service in the grade failing which Section Holder (Bindery) with combined regular service of 10 years in that grade and in the grade of Binder.</p> <p><u>Note 1:</u> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><u>Note 2:</u> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments--</p> <p>i. Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department with three years working experience in Binding work; or</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Director (Admn./Head office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman 2. Deputy Manager - Member 3. Assistant Manager (Administration) –Member <p><u>Note:</u> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable
----------------	----------------	---	--	--	----------------

		<p>ii. Holding the post of Section Holder (Bindery) in Level 5 (Rs.29200 – 92300) in Pay Matrix with six years regular service in the grade.</p> <p><u>Desirable:</u> Two years' experience in binding Section of Offset Printing Press.</p> <p><u>Note 1:</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications)</p> <p><u>Note 3:</u> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2016, the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.</p>	
--	--	---	--

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Store Supervisor Gr.I	04 (04) (2024) * *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B'(Non Gazetted), Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether direct recruitment or promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By Deputation (including short term contract)	Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government or State Governments or Public Sector undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; Or (ii) with five years regular service rendered after appointment thereto in the level-6 of the pay matrix; (iii) with ten years regular service rendered after appointment thereto in the level-4 of the pay-matrix and (b) possessing the following educational qualification and experience:	Not applicable	Not applicable

		<p>ESSENTIAL:</p> <p>(a)(i) Bachelor 's Degree with Economics or Commerce or Statics or Business studies or public administration of a recognized University and</p> <p>(iii) one year experience in handling store which can be relaxed by the Appointing Authority in deserving cases in case no eligible candidates apply.</p> <p><u>Note 1:</u> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><u>Note 2:</u> Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications</p> <p><u>Note 3:</u> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2016, the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.</p>		
--	--	---	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इन्सपेक्टर कंट्रोल	एक (01)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (Rs.35400-112400)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	100% प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों या राज्य सरकारों के अधिकारी - वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित सदृश पद धारण किए हुए (अथवा)</p> <p>सैक्शन होल्डर(जिल्दसाजी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 के ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए लोग पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति या आमेसन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 (वह तिथि जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना बढ़ाई गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए वेतन मैट्रिक्स में संगत स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।\</p>	लागू नहीं	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लेखाकार	दस(10) (2024)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अरा जपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (Rs.35400-112400)	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	कॉलम 11 में उल्लिखित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों में से लेखाविधि परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा 100%।	पदोन्नति: (1) उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी) और (2) आशुलिपिक ग्रेड-II (दोनों स्तर 4 की पद) जिन्होंने मुद्रणालय निदेशालय के अधीन नियमित आधार पर (लिपिकीय ग्रेड में) नियुक्ति के बाद ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, जो स्थायी या स्थायीवत् कर्मचारी होने चाहिए, बशर्ते कि उन्होंने परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जाने वाली लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	लागू नहीं	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्रधान लिपिक	बत्तीस (32) (2024) * *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400- 112400 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा अन्यथा स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><u>पदोन्नति:</u></p> <p>मुद्रण निदेशालय के अधीन भारत सरकार के मुद्रणालयों के लेवल 4 के अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><u>टिप्पणी-1:</u> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><u>टिप्पणी-2:</u> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:</u></p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> उप निदेशक (प्रशासन/मुख्यालय) अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय –अध्यक्ष उप प्रबंधक- सदस्य सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पदोन्नति हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> उप निदेशक (प्रशासन/मुख्यालय) अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय –अध्यक्ष उप प्रबंधक- सदस्य सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य <p>नोट: यदि उसी मुद्रणालय के उपर्युक्त पदाधिकारियों में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो अन्य सहयोगी मुद्रणालयों में नियमित आधार पर समान पदनाम और स्थिति के पद धारण करने वाले पदाधिकारियों को उक्त डीपीसी में शामिल किया जाएगा।</p>	लागू नहीं

<p>(i) केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों या राज्य सरकारों के अधिकारी—</p> <p>क. नियमित आधार पर सदृश पद धारी हों या</p> <p>ख. उस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 में पद धारी या प्रशासन, लेखा और बजट में अनुभव के साथ ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तर 4 में उच्च श्रेणी लिपिक।</p> <p>टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में संगत स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।</p>		
---	--	--

-

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक ग्रेड I	01 (01) (2024) * *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400/- रुपये)	अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा	<p>पदोन्नति:</p> <p>स्तर 4 में आशुलिपिक ॥ जिन्होंने ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पणी-1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> उप निदेशक (प्रशासन/मुख्यालय) अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय –अध्यक्ष उप प्रबंधक- सदस्य सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पदोन्नति हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> उप निदेशक (प्रशासन/मुख्यालय) अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय –अध्यक्ष उप प्रबंधक- सदस्य सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य <p>नोट: यदि उसी मुद्रणालय के उपर्युक्त पदाधिकारियों में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो अन्य सहयोगी मुद्रणालयों में नियमित आधार पर समान पदनाम और स्थिति के पद धारण करने वाले पदाधिकारियों को उक्त डीपीसी में शामिल किया जाएगा।</p>	लागू नहीं

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नर्स	04 (04) (2024) * *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400/- रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प कालिक संविदा सहित)	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प कालिक संविदा सहित) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के तहत अधिकारी;</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों:</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में विज्ञान स्नातक (ऑनर्स); या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान स्नातक नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान स्नातक नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिग्री।</p> <p>(ii) राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स या नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत।</p> <p>(iii) ऊपर उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में छह महीने का अनुभव; या,</p> <p>(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से सामान्य नर्सिंग मिडवाइफ में डिप्लोमा।</p> <p>(ii) राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स या नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत; और</p> <p>(iii) ऊपर उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी सरकारी संगठन में कम से कम पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में दो साल का अनुभव।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं
टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कि लिए विचार					

		<p>किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में संगत स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।</p>	
--	--	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मशीन मैन (आफसैट)	चौंसठ (64)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (प्रमुख शिल्पी) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400/- रुपये)	अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा अन्यथा स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p><u>Promotion:</u></p> <p>मशीन सहायक (आफसैट) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (Rs.29200 – 92300) में दस वर्षों की नियमित सेवा जो अर्हता ट्रेड परीक्षा पास करने के अधीन है।</p> <p>टिप्पणी-1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:</u></p> <p>(i) केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों या राज्य सरकारों के अधिकारी—</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप निदेशक (प्रशासन/मुख्यालय) अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय – अध्यक्ष 2. उप प्रबंधक- सदस्य 3. सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पदोन्नति हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप निदेशक (प्रशासन/मुख्यालय) अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय – अध्यक्ष 2. उप प्रबंधक- सदस्य 3. सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य <p>नोट: यदि उसी मुद्रणालय के उपर्युक्त अधिकारियों में से कोई भी उपलब्ध न</p>	लागू नहीं

		<p>क. आफसेट मशीन पर नियमित आधार पर दो वर्ष कार्य करना के अनुभव सहित सदृश हो, तो अन्य निकटतम सहयोगी पद धारी हों या</p> <p>ख. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (Rs.29200 - 92300) में मशीन सहायक (ऑफसेट) पद धारी या ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा ।</p> <p>टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में संगत स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।</p>	<p>हो, तो अन्य निकटतम सहयोगी मुद्रणालयों में नियमित आधार पर समान पदनाम और स्थिति के पद धारण करने वाले अधिकारियों को उक्त समिति में शामिल किया जाएगा तथा निकटतम मुद्रणालय का निर्धारण दूरी के आधार पर किया जाएगा।</p>	
--	--	---	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डेस्कटॉप पबलिशिंग संचालक	छिहत्तर (76)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (प्रमुख शिल्पी) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400/- रुपये)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच टिप्पण 1: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में इसमें पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में तीन वर्ष की छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।	वांछनीय: 1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा या समकक्ष तथा संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। (या) डीटीपी ऑपरेटर ट्रेड में प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के तहत प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र तथा वैधिक मान्यता वाले मुद्रणालय में तीन वर्ष का अनुभव। 2) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग टेस्ट पास करना चाहिए। (अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटे/9000 कुंजी दबाव प्रति घंटे के हिसाब से औसतन 5 कुंजी दबाव प्रति शब्द) वांछनीय: क्षेत्रीय भाषाओं में से एक का ज्ञान होना चाहिए। टिप्पणी 1: अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव से संबंधित योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी की स्वविवेक पर शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह अभिमत है कि किसी भी संभावना है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा अन्यथा स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा। नोट: प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों या राज्य सरकारों के अधिकारी— i. डीटीपी कार्य में तीन वर्ष के अनुभव के साथ नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या ii. ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा के अनुभव के साथ वेतन मैट्रिक्स में लेवल 5 में पद धारण करना; और iii. कॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखना। टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति या आमेहन के आधार पर नियुक्ति के	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति/ पुष्टिकरण समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. उप निदेशक (प्रशासन/मुख्यालय) अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय –अध्यक्ष 2. उप प्रबंधक- सदस्य 3. सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य नोट: यदि उसी मुद्रणालय के उपर्युक्त अधिकारियों में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो अन्य निकटतम सहयोगी मुद्रणालयों में नियमित आधार पर समान पदनाम और स्थिति के पद धारण करने वाले अधिकारियों को उक्त समिति में शामिल किया जाएगा तथा निकटतम मुद्रणालय का निर्धारण दूरी के आधार पर किया जाएगा।	लागू नहीं

		<p>प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में संगत स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।</p>	
--	--	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान रीडर	(5) * (2024) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, 'ख' (पर्यवेक्षीय), अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 Rs.35400 - 112400)	अचयन पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

लागू नहीं होता।	पददोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p><u>प्रोन्नति द्वारा:</u></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (29200-92300/-) में रीडर के ग्रेड पर दस वर्षों की नियमित सेवा जिसके न होने पर:</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा बशर्ते उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए एक अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 (सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित वेतनमान की तिथि) से पहले की गयी नियमित सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य स्तर पर की गयी सेवा समझा जाएगा।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति द्वारा :</u></p> <p>केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारी हैं; अथवा</p> <p>(ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (29200-92300/-) के पदों पर नियमित 10 वर्षों के सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधे प्रोन्नति के पात्र हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसे प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी प्रोन्नति के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संस्थान अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में किसी अन्य बाह्य वर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है किसी भी परिस्थिति में तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त के अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए एक अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2016 (सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित वेतनमान की तिथि) से पहले की गयी नियमित सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य स्तर पर की गयी सेवा समझा जाएगा।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति/संपुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> उप निदेशक (मुख्यालय/प्रशासन) अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय – अध्यक्ष उप प्रबंधक सदस्य - सहायक प्रबंधक सदस्य-(प्रशासन) <p>टिप्पण: यदि उसी मुद्रणालय के उपरोक्त बताए गए अधिकारियों में से कोई उपलब्ध नहीं है तो अन्य मुद्रणालय से समदर्शी पदधारी अधिकारी को समिति में सम्मिलित किया जा सकता है।</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
-----------------	-------------------------------------	--	--	---	---

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फौरमैन (जिल्दसाज़ी)	पाँच (05) * (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (पर्यवेक्षी) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400- 112400/- रुपये)	अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती प्रक्रिया की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	100% पदोन्नति द्वारा अन्यथा स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में लेवल 5 (रु. 29200 - 92300) में सेक्शन होल्डर (जिल्दसाज़ी) जिसने उस ग्रेड में छह साल की नियमित सेवा की हो, अन्यथा सेक्शन होल्डर (जिल्दसाज़ी) जिसने उस ग्रेड में और बाइंडर के ग्रेड में 10 साल की संयुक्त नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पणी-1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति/ पुष्टिकरण समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> उप निदेशक (प्रशासन/मुख्यालय) अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय – अध्यक्ष उप प्रबंधक- सदस्य सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य <p>नोट: यदि उसी मुद्रणालय के उपर्युक्त अधिकारियों में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो अन्य निकटतम सहयोगी मुद्रणालयों में नियमित आधार पर समान पदनाम और स्थिति के पद धारण करने वाले अधिकारियों को उक्त समिति में शामिल किया जाएगा तथा निकटतम मुद्रणालय का निर्धारण दूरी के आधार पर किया जाएगा।</p>	लागू नहीं

		<p>प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों या राज्य सरकारों के अधिकारी—</p> <p>i. मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने के साथ बाइंडिंग कार्य में तीन वर्ष का कार्य अनुभव; या</p> <p>ii. वेतन मैट्रिक्स में लेवल 5 (29200 - 92300 रुपये) में सेक्शन होल्डर (जिल्दसाज़ी) का पद धारण करने के साथ ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>वांछनीय: ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के जिल्दसाज़ी अनुभाग में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जिससे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में संगत स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।</p>	
--	--	--	--

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भंडार पर्यवेक्षक श्रेणी-I।	चार (04) (2024) * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ख'), अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

भर्ती की पद्धति। सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दश में तो वो श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी और स्वाशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;</p> <p>या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200- 92,300 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों :</p>	लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

भर्ती की पद्धति:, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदिविभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	किन भर्ती परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10	11	12	13
	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि।</p> <p>(ii)केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या कानूनी अथवा स्वशासी संगठनों या पब्लिक सेक्टर या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के किसी भंडार या प्रतिष्ठान में भंडार संभालने तथा भंडार के लेखा के रखरखाव का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य या सांख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक।</p>		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	किन भर्ती परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10	11	12	13
	<p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन या भंडारण प्रबंधन अथवा क्रय या संभार-तंत्र अथवा सरकारी खरीद में डिप्लोमा; तथा</p> <p>(iii)केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन /मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ विश्वविद्यालयों / पब्लिक सेक्टर/ कानूनी या स्वशासी संगठन के किसी भंडार अथवा प्रतिष्ठान में भंडार संभालने एवं भंडार के लेखों के रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सेवा भी है)के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>		